I/10048/2021

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् सुपौल

पटना, दिनांक 8.9.2021

विषय- ROB निर्माण कार्य हेतु रैन बसेरा को हटाने हेतु मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक-735 दिनांक-31.08.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH घटक अंतर्गत शहरी गरीब आश्रयविहीन, जो खुले आकाश में सोने को विवश हों, के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संचालन कराया जाता है। विदित हो कि वाद संख्या- W.P. (Civil)-55/2003, E.R Kumar & Anr Vs. Union of India में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय आश्रय स्थल अनुश्रवण कमिटी गठित है, जिसके द्वारा राज्य में संचालित सभी आश्रय स्थलों की समीक्षा कर समय समय पर इससे सम्बंधित प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध करायी जाती है।

उल्लेखनीय है कि आपके नगर निकाय में स्थित आश्रय स्थल का उपयोग शहरी गरीब आश्रयविहीनों के हित में ही किया जाना है परन्तु यदि किसी अपरिहार्य कारणवश इस संरचना को ध्वस्त किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमिटी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही आश्रय स्थल को ध्वस्त किया जाना उचित होगा। साथ ही उसके स्थान पर विभाग द्वारा प्रस्तावित मॉडल एवं डिजाईन के अनुरूप नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल से प्रतिपूर्ति की मांग की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल को उक्त आशय की सूचना दिया जाए एवं निकाय अंतर्गत विवाद रहित उचित भूमि को चिन्हित कर आश्रय स्थल के निर्माण हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Signed by Umakant Pandey
Date: 08-09-2021 11:25:41
Reason: Approved

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, सुपौल को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।